न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगापुर जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी–राजेश सुवालका (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :–108/2020 (2020/00480) दर्ज दिनांक 12.10.2021

प्रकरण अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

शीर्षक

रामप्रसाद पिता बालक दास वैष्णव निवासी मैलूणीखेड़ा गंगापुर हैसीयत पुजारी श्री चारभुजा स्थान देह , मैलूणी खेड़ा गंगापुर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

प्रार्थी

बनाम

1. दौलतराम पिता नाथू माली निवासी गंगापुर
2. सुधीर पिता रामसहाय सोमानी निवासी गंगापुर
3. सत्यनारायण पिता कनकमल अग्रवाल निवासी गंगापुर
4. नगरपालिका गंगापुर जरिये अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका गंगापुर
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर।

विपक्षीगण

उपस्थिति– अधिवक्ता प्रार्थीगणः– श्री अरविंद चौधरी

अधिवक्ता विपक्षी संख्या 01:– श्री एम0एस0 चौधरी

पेरोकार सरकार

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 ::

निर्णय दिनांकः–01.10.2021

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत विपक्षीगण के विरूद्व प्रस्तुत कर ग्राम मैलूणी खेड़ा पटवार हल्का मैलूणी तहसील सहाड़ा के बेरून हल्का आबादी में प्रार्थी श्री चारभुजा जी मन्दिर देह के खातेदारी अधिकार की आराजी संख्या 2560/1 रकबा 0.14 हे0, 2598 रकबा 0.25 हे0 कुल किता 02 कुल रकबा 0.39 हे0 भूमि राजस्व खाता संख्या 660 पर दर्ज होकर स्थित हैं। जिसकी जमाबन्दी संलग्न हैं। प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढी किये जाने की इस्तदुआ की।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षीगण को विधिवत सूचना पत्र जारी कर तामील करवाकर सूचित किया गया। विपक्षी संख्या 2 लगायत 3 बावजूद सूचना के अनुपस्थित अतः एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये। विपक्षी संख्या 4 द्वारा अवसर दिये जाने पर भी जवाब पेश नहीं अतः जवाब बंद किया जाता है। विपक्षी संखय 5 राजस्थान सरकार औपचारिक पक्षकार होने से जवाबदेही बंद की जाती हैं । विपक्षी संख्या 1 के अधिवक्ता द्वारा जवाब पेश कर निवेदन किया [illegible] कालम संख्या 6 में आराजियात ग्राम मैलूणीखेड़ा में स्थित होना स्वीकार [illegible] जो गलत होने से इन्कार की है तथा प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र [illegible] उक्त आराजी जो गलत ढंग से ग्राम मलक में स्थित होना अंकित है जिससे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज किया जावें। प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष अधिवक्ता को सुना गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Suwalka
Date: 2021.11.22 12:30:37 IST
Reason: SelfAttested

बाद सुनवाई मैने प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर गहन मनन किया। प्रार्थना पत्र के अवलोकन व गहन मनन के खातेदार को अपनी सीमा का ज्ञान होना व पत्थरगढ़ी कराने का अधिकार है अतः प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

प्रकरण संख्या :–108/2020 (2020/480)
प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल.आर.एक्ट स्वीकार किया जाता है के ग्राम मैलूणी खेड़ा पटवार हल्का मैलूणी तहसील सहाड़ा के बेरून हल्का आबादी में प्रार्थी श्री चारभुजा जी स्थानदेह के खातेदारी अधिकार की आराजी संख्या 2560/1 रकबा 0.14 हे0, 2598 रकबा 0.25 हे0 कुल किता 02 कुल रकबा 0.39 हे0 भूमि राजस्व खाता संख्या 660 पर दर्ज होकर स्थित भूमियों का बसामलात पक्षकारान के पत्थरगढ़ी की जाने के आदेश किये जाते हैं, **उक्त भूमि में दोनों पक्षों की उपस्थिति में किसी को बिना बेदखली एवं बिना किसी के कब्जे काश्त में दखलान्दाजी किये पत्थरगढ़ी की जावें। यदि पत्थरगढी के उपरान्त किसी का प्रतिकूल कब्जा पाया जाता हैं तो धारा 183 आर. ए. के तहत वाद पेश करने के लिए पाबंद किया जावें।** प्रार्थी बतौर पत्थरगढी शुल्क राशि 450/– (चार सौ पचास रू. मात्र) राजकोष में जमा करावें तथा पत्थरगढी की कमिश्नर फीस राशि 450/– (चार सौ पचास रू. मात्र) सम्बन्धित भु–अभिलेख निरीक्षक को मौके पर प्रार्थी अदा करें। पालनार्थ तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर को तहरीर जारी

निर्णय आज दिनांक 01.10.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेश सुवालका)
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर(भीलवाड़ा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Suwalka
Date: 2021.11.22 12:30:37 IST
Reason: SelfAttested